न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 05/2016 (राजस्व अपील)

अनवान

1. श्रीमती नाथीबाई पुत्री कचरा ड़ांगी, पत्नि वालजी डांगी, निवासी कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर। हाल मुकाम सिंगपुर, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

—अपीलार्थीया/अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरियें तहसीलदार सलुम्बर
2. श्री जोयता पुत्र मोगा डांगी, निवासी कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री चेतन चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थीया।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध म्युटेशन सं. 25 न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर आदेश दिनांक 07.05.1993

* निर्णय *

दिनांक— 27-01-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 25 तहसीलदार सलुम्बर दिनांक 07.05.1993 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया की काश्तकारी भूमि मौजा कल्याणाकलां, पटवार मण्ड़ल कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे स्थित है, जिस पर अपीलार्थीया के पिता कचरा ड़ांगी की मृत्यु के बाद अपीलार्थीया की माता श्रीमती दोली बाई एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीया अनवररत बेरोकटोक के लगातार काबिज काश्त करती आ रही हैं। अपीलार्थीया के परिवार मे मूल पुरूष रामींग जी जो अपीलार्थीया के दादा थे, फोत हो चुके है एवं रामींग जी के दो पुत्र जिनमे अपीलार्थीया के पिता कचरा एवं मोगा सगे भाई थे। अपीलार्थीया की माता श्रीमती दोली बाई भी फोत हो चुकी हैं। अपीलार्थीया के पिता कचरा के भाई मोगा का लड़का जोयता विपक्षी संख्या 2 जीवित है एवं कचरा जी एवं दोलीबाई की एकमात्र संतान अपीलार्थीया ही है। अपीलार्थीया के खानदान का सजरा इस प्रकार हैः—

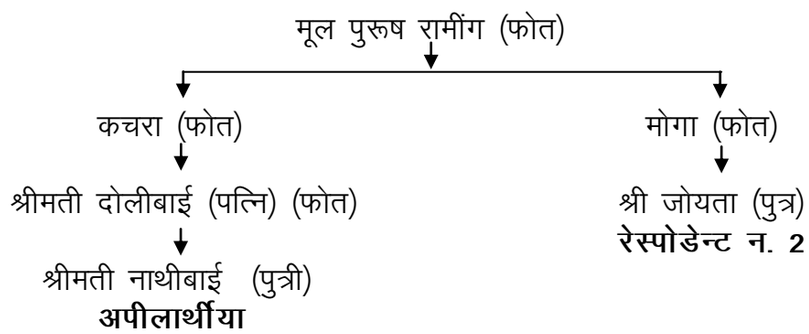

अपीलार्थीया के पिता कचरा जी ड़ागी जो कि कृषि भूमि मौजा कल्याणाकलां, पटवार हल्का कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर की पुरानी जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 के खाता संख्या 7, 8, 9, 10, 148, 149 मे अंकित हैं। अपीलार्थीया के पिता श्री कचरा जी डांगी के फोत होने पर म्युटेशन संख्या 420 के जरिये अपीलार्थीया की माता श्रीमती दोली बाई का नाम विरासत से दर्ज हुआ, लेकिन उस समय भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलार्थीया की माता का नाम जानबुझकर दर्ज नहीं करवाया, लेकिन उसके पश्चात् अपीलार्थीया की माता की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का, प्रशासक रतनलाल एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मिलीभगत कर दिनांक 07.05.1993 को इंतकाल नम्बर 25 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री जोयता पिता मोगा डांगी ने विरासत से अपने नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार सलुम्बर से स्वीकृत करवा लिया, जबकि अपीलार्थीया उस समय गांव कल्याणाकलां मे ही रह रही थी तथा अभी भी गांव कल्याणाकलां मे ही अपीलग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त कर रही है एवं उस पर काबिज हैं। पुराने खाता संख्या 7, 8, 9, 10, 148 एवं 149 मे म्युटेशन संख्या 25 का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री जोयता पिता मोगा डांगी ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से विरासत से अपने नाम पर दर्ज कराया। उस समय म्युटेशन संख्या 25 मे अंकित खातो की आराजीयात का मिसल बंदोबस्त संख्या 61, 62, 63, 64 मे इन्द्राज किया गया। अपीलार्थीया के जीवित होते हुए भी प्रशासक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री जोयता पिता मोगा डांगी को फायदा पहूॅचाने की गरज से जाली एवं फर्जी प्रमाण पत्र अपीलार्थीया की माता दोलीबाई के कोई जायन्दा लड़का लड़की नहीं होने का दिया तथा तत्कालीन पटवारी हल्का ने भी इंतकाल संख्या 25 मे मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री जोयता पिता मोगा डांगी को लाभ पहूॅचाने के गरज से यह अंकित किया कि मु. दोली बेवा कचरा फोत हुए करीब 3 वर्ष हुए हैं, इनके जायन्दा लड़का न होकर देवर का लड़का श्री जोयता पिता मोगा डांगी के नाम पर विरासत से नामान्तरकरण दर्ज करने की स्वीकृति हेतु श्रीमान की सेवा मे प्रेषित हैं। इसके बाद तहसीलदार सलुम्बर ने भी उक्त नामान्तकरण को विधि विरूद्ध स्वीकृत किया। अपीलार्थीया के भाई न होने के कारण अपीलार्थीया ही अपने वृद्ध माता पिता की सेवा चाकरी करती आ रही थी एवं वर्तमान मे भी अपीलार्थीया के माता पिता की समस्त अचल सम्पत्ति, जिसमे अपीलग्रस्त खातो की आराजीयात भी सम्मिलित है पर बिना किसी बेरोकटोक के काबिज काश्त हैं। अतः अपीलार्थीया की उक्त अपील को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 25 दिनांक 07.05.1993 को अपास्त कर विरासत से अपीलार्थीया नाथीबाई के नाम म्युटेशन दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 2 श्री जोयता पुत्र मोगा डांगी द्वारा तामिल लेने से इंकार करने पर तामिल चस्पानगी कर उक्त रिपोर्ट के साथ सूचना पत्र अदम तामिल न्यायालय को प्राप्त हुए। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 श्री जोयता पिता मोगा डांगी की ओर से कोई उपस्थित नही रहा एवं न ही प्रकरण मे कोई जवाब प्रस्तुत करने से विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब

बंद किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार से रिपोर्ट, म्युटेशन कर प्रति मंगवायी जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलार्थीया के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलार्थीया के अधिवक्ता द्वारा बहस प्रारंभ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा कल्याणाकलां, तहसील सलुम्बर के नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 07.05.1993 मे दोली बेवा कचरा डांगी, निवासी कल्याणाकलां को लाओलाद बताकर उनके देवर के पुत्र श्री जोयता पिता मोगा के नाम से नामान्तरकरण दायर कर प्रमाणित किया गया हैं।

हमने अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट, म्युटेशन की प्रमाणित प्रति एवं पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अपीलार्थीया श्रीमती नाथीबाई पुत्री कचरा डांगी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थीया श्रीमती नाथीबाई पुत्री कचरा डांगी द्वारा दिनांक 20.07.2015 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सलुम्बर को प्रस्तुत कर अपीलार्थीया के पिता को लाओलाद फोत बताकर विरासत से राजस्व भूमि खाते गलत तरीके से किये जाने की जांच बाबत् अनुरोध किया गया, जिस पर तहसीलदार सलुम्बर द्वारा दिये गये निर्देशों पर पटवारी हल्का कल्याणाकलां की रिपोर्ट मे यह तथ्य उल्लेखित है कि ''कचरा पिता रामींग की जाईन्दा वारिस एक मात्र पुत्री नाथी है, जो वर्तमान मे ग्राम सींगपुर मे शादी करायी गयी है, जहॉ निवास कर रही हैं।'' तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.09.16 से यह स्पष्ट जाहिर है कि मौजा कल्याणाकलां के नामान्तरकरण सं. 25 दिनांक 07.05.93 मे दोली बेवा कचरा डांगी, निवासी कल्याणाकलां को लाओलाद बताकर उनके देवर के पुत्र श्री जोयता पिता मोगा के नाम से नामान्तरकरण दायर कर प्रमाणित किया गया हैं। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीया श्रीमती नाथीबाई अपने पिता श्री कचरा डांगी की जाईन्दा वारिस है एवं अपने पिता श्री कचरा पिता रामींग की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण प्रार्थीया के नाम पर खोला जाना चाहिए था, किन्तु श्री कचरा पिता रामींग की मृत्यु के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 07.05.1993 रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष मे खोला गया है, जो नियमानुसार खोला जाना जाहिर नही होता है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 25 दिनांक 07.05.93 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर मृतक श्री कचरा पुत्र रामींग के विधिक वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर